संख्या-333/2025/212के-2/22-3-2025-17(412)/25

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 24 जुलाई, 2025

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शमी उर्फ संजय दत्त उर्फ प्रधान उर्फ रियाज पुत्र श्री भूरा, निवासी जनपद-कन्नौज की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-3840/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-21.01.2025), दिनांक 29.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शमी उर्फ संजय दत्त उर्फ प्रधान उर्फ रियाज (बंदी संख्या-16/07) पुत्र श्री भूरा, जो कसाई टोला, थाना-कोतवाली, जनपद-कन्नौज का रहने वाला है। लूट के उद्देश्य से दिनांक 30/31-08-2003 की रात्रि को बंदी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांस के डण्डे व पावा से मारकर हीरालाल, श्रीमती फूलकली व 02 वर्षीय अमन सहित 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा घर से सोने, चांदी के आभूषण लूटकर अपने साथ ले गये। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण सं0-29/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302, 394 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश(कक्ष संख्या-6), प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 03-01-2007 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। बंदी की अपील को निर्णीत करते हुए मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के आदेश दिनांक 19-04-2008 द्वारा बंदी की मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी की आयु दिनांक 29-09-2022 तक 48 वर्ष, 08 माह, 20 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने तथा स्थायित्व प्रमाणन सम्भव नहीं होने के कारण समय पूर्व रिहाई पर छोड़ा जाना विधिनुकूल नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा 03 व्यक्तियों की हत्या एवं लूट का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शमी उर्फ संजय दत्त उर्फ प्रधान उर्फ रियाज पुत्र श्री भूरा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शमी उर्फ संजय दत्त उर्फ प्रधान उर्फ रियाज (बंदी संख्या-16/07) पुत्र श्री भूरा, निवासी जनपद-कन्नौज के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए/लाईसेंस पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या-212(1)के-2/22-3-2025 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3- जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज।
5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-333/2025/212के-2/22-3-2025-17(412)/25

दिनांक 24 जुलाई, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी प्रयागराज में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी शमी उर्फ संजय दत्त उर्फ प्रधान उर्फ रियाज (बंदी संख्या-16/07) पुत्र श्री भूरा, जो कसाई टोला, थाना-कोतवाली, जनपद-कन्नौज का रहने वाला है। लूट के उद्देश्य से दिनांक 30/31-08-2003 की रात्रि को बंदी ने अपने 06 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर बांस के डण्डे व पावा से मारकर हीरालाल, श्रीमती फूलकली व 02 वर्षीय अमन सहित 03 व्यक्तियों की हत्या कर दी तथा घर से सोने, चांदी के आभूषण लूटकर अपने साथ ले गये। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण सं0-29/2004 में भा0द0वि0 की धारा-302, 394 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश(कक्ष संख्या-6), प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 03-01-2007 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। बंदी की अपील को निर्णीत करते हुए मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ खण्डपीठ के आदेश दिनांक 19-04-2008 द्वारा बंदी की मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया। बन्दी की आयु दिनांक 29-09-2022 तक 48 वर्ष, 08 माह, 20 दिन है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, कन्नौज द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने तथा स्थायित्व प्रमाणन सम्भव नहीं होने के कारण समय पूर्व रिहाई पर छोड़ा जाना विधिनुकूल नहीं होने का अंकन करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी द्वारा 03 व्यक्तियों की हत्या एवं लूट का जघन्य अपराध कारित किया गया है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्थानीय स्तर पर वर्तमान परिस्थितियों का सम्यक परीक्षण कर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किया गया है। प्रकरण से सम्बन्धित ऐसा कोई तथ्य परिलक्षित नहीं है, जिसके आधार पर जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट की आख्या/संस्तुति के प्रतिकूल अवधारणा बनाई जा सके। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी शमी उर्फ संजय दत्त उर्फ प्रधान उर्फ रियाज पुत्र श्री भूरा को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त मा0 राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in